न्यायालय: — संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला अशोकनगर (म०प्र०)

> <u>दा0प्र0क0 - 189/12</u> संस्थित दि0 - 04.06.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला – अशोकनगर, म0प्र0

---- अभियोजन

## विरुद्ध

- 1. सतीश पुत्र कोमल लोधी, आयु—20 वर्ष,
- हरिचरण पुत्र कोमल लोधी, आयु—25 वर्ष, निवासीगण—ग्राम बामोर हुर्रा, थाना चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

---- अभियुक्तगण

## —:: <u>निर्णय</u> ::— (<u>आज दिनांक 16.12.2014 को घोषित</u>)

- 1. अभियुक्तगण पर भा०दं०वि० की धारा 354, 294, 323/34, 324/34 के दंडनीय अपराध का आरोप है कि, आरोपीगण ने दिनांक 08.05.2012 को समय दिन के 10 बजे ग्राम बामोर हुर्रा में फरियादिया के घर के पास फरियादिया राजकुमारी बाई का जो कि, एक स्त्री है, का बुरी नियत से हाथ पकडकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घर के अंदर खींचकर आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादी विकात को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व आहत विकांत के साथ सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है कि, फरियादिया करीब 10 बजे अपने घर के दरवाजे के पास खडी थी कि, उसका पडोसी सतीश आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड लिया और घर के अंदर खींचने लगा। फरियादिया जोर से

चिल्लाई तो सतीश भाग गया। उसका पित घर पर नहीं था। फिरयादिया ने अपने पित विकांत को गांव से बुलवाया तो फिरयादिया के पित ने सतीश से इस संबंध में चर्चा की तो सतीश व हरिचरण गालियां देने लगे और उसके पित से चैंट गये व लात—घूसों से मारपीट करने लगे। सतीश ने उसके पित को बांये तरफ भुजा में काट खाया तथा मादरचोद, बहनचोद की गन्दी—गन्दी गालियां दी। तब आरोपीगण के डर से राजघाट तरफ से पैदल रिपोर्ट करने थाने में आये। तब फिरयादीगण द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना चन्देरी में की गई। थाना चन्देरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया तथा अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया।

आरोपीगण पर भा०दं०वि० की धारा 354, 294, 323 / 34, 3. 324 / 34 का दंडनीय अपराध का आरोप लगाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया व विचारण चाहा। विचारण दौरान फरियादीगण द्वारा शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 294, 323 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध शमनीय प्रकृति के होने से आरोपीगण को उक्त धाराओं में दोषमुक्त किया गया किंतु धारा ३५४ व ३२४/३४ भा०दं०वि० के अंतर्गत दंडनीय अपराध अशमनीय प्रकृति का हो जाने से उक्त धाराओं के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया, फरियादीगण के कथन लिये गये। अभियोजन द्वारा आई हुई साक्ष्य तथा राजीनामा के तथ्य को देखते हुए न्यायालय के समय एवं शासन की धनराशि के अपव्यय रोकने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा, अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई किन्तु प्रकरण में उपलब्ध साक्षियों की साक्ष्य से धारा 354, 324/34 भा0दं0वि0 के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं आये है, अतः अभियुक्त कथन नहीं लिये गये।

## 4 प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न है कि-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.05.2012 को समय दिन के 10 बजे ग्राम बामोर हुर्रा में फरियादिया के घर के पास फरियादिया राजकुमारी बाई का जो कि, एक स्त्री है, का बुरी नियत से हाथ पकडकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घर के अंदर खींचकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में

आहत विकांत को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

## —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— —:: <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2</u> ::—

- 5 अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी राजकुमारी (अ.सा.—1), विक्रम (अ.सा.—2) तथा लाडोबाई (अ.सा.—3) के कथन लेखबद्ध कराये गये है।
- 6. साक्षी राजकुमारी (अ.सा.—1) का कहना है कि, घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। आरोपीगण उसके घर के पास आकर गाली—गलोंच कर रहे थे उसी बात को लेकर वाद—विवाद हो गया था तब उसने आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 थाना चन्देरी में लेखबद्ध कराई थी जिस पर उसके अंगूठा के निशान है। पुलिस ने उसका मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरी में कराया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0—2 बनाया था जिस पर उसके अंगूठा के निशान है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, घटना दिनांक को जब वह अपने घर के बाहर दरवाजे के पास खडी थी तभी आरोपी सतीश उसका हाथ पकडकर अंदर खींचने लगा था तथा आरोपी उसका सीना दबाने लगा था एवं जब उसका पित आया तो आरोपी ने उसके पित के कंधे पर काट लिया था।
- 7. इसी प्रकार साक्षी विक्रम (अ.सा.—2) का भी कहना है कि, घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने खेत पर गया था जब वह आया तो उसकी पिंतन ने उसे बताया कि, आरोपीगण उससे गाली—गलोंच कर रहे थे, जब उसने आरोपीगण से गाली—गलोंच देने से मना किया तो इसी बात पर से उसका आरोपीगण से वाद—विवाद हो गया था तब उन लोगों ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 थाना चन्देरी में लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने उसका मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरी में कराया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया कि, आरोपी उसकी पिंतन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच रहा था तथा आरोपीगण ने उसकी पिंतन का सीना दबाया था व आरोपीगण ने उसके कंधे पर काट लिया था।

- 8. इसी प्रकार साक्षी लाडोबाई (अ.सा.—3) का भी कहना है कि, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया कि, वह अपने घर के बाहर खडी थी तभी उसके सामने आरोपी सतीश राजकुमारी का हाथ पकडकर उसे अंदर खींच रहा था व आरोपी सतीश राजकुमारी का सीना दबा रहा था एवं जब उसका पित विक्रम आया तो आरोपी सतीश ने उसके कंधे पर काट लिया था।
- 9. इस प्रकार न्यायालय द्वारा फरियादीगण के कथनों तथा राजीनामा के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समय व शासन की धनराशि का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से साक्ष्य समाप्त कर दी है। अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं है कि, आरोपीगण द्वारा फरियादिया राजकुमारी बाई का जो कि, एक स्त्री है, का बुरी नियत से हाथ पकडकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घर के अंदर खींचकर आपराधिक बल का प्रयोग किया व सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत विकांत को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 10. अतः आरोपीगण पर धारा 354, 324/34 भा0दं०वि० का दंडनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। फलतः आरोपीगण को धारा 354, 324/34 भा0दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त कर उन्हें स्वतंत्र किया जाता है। उनके जमानत एवं मुचलके उन्मुक्त किये जाते हैं। तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया

संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला अशोकनगर

संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला अशोकनगर